राजस्थान विधान सभा

प्रथम बैठक, सोमवार, दिनांक १८ मार्च १९५७

(प्रातःकालीन बैठक)

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में मध्यान्हपूर्व ११. ५ बजे प्रारम्भ हुई

श्रीमान् राज्यपाल का अभिभाषण

(श्रीमान् राज्यपाल ने १० बजकर ५ मिनट पर सभा भवन में प्रवेश किया)

श्री गुरुमुख निहालसिंह (श्रीमान राज्यपाल)

अध्यक्ष महोदय तथा माननीय सभासदगण,

मैं आप लोगों का मौजूदा विधान सभा की इस अन्तिम बैठक में स्वागत करने में खुशी महसूस कर रहा हूं। हालांकि यह बैठक थोड़े ही समय के लिये होगी, क्योंकि यह अगले वर्ष के बजट की जांच कर लेखानुदान (Vote on account) लेने के लिये बुलाई गई है, परन्तु मैं महसूस करता हूँ कि वर्तमान विधान सभा के जीवन काल में जो कुछ हासिल हुआ है, उस सब पर एक सरसरी निगाह डालने का यह अच्छा अवसर है । राजस्थान राज्य का निर्माण ऐसी बहुत सी छोटी बड़ी इकाइयों को मिलाकर हुआ है, जिनकी व्यवस्था एक सी नहीं थी और जिनमें से हर एक अपनी अहमियत, रस्मोरिवाज, शासन तथा रहन-सहन के तरीके अलग अलग रखती थीं । सामाजिक तथा आर्थिक प्रगति का पैमाना भिन्न भिन्न राज्यों का अलग अलग था । उन सब को मिला कर एक मुकम्मिल इकाई बनाना, विभिन्न सेवाओं का एकीकरण करना, ठीक-ठीक एडमिनिस्ट्रेटिव युनिटों का निर्माण करना, लगाये जाने वाले कानूनों को एक सा करना, करों के भार में समानता लाना, थोड़े लफ्जों में विभिन्नता में एकता पैदा करना, साधारण काम नहीं था लेकिन यह जान कर संतोष होता है कि इस सभा ने ऐसी अनेक समस्याओं पर विचार करने में, जिनका हल किया जाना जरूरी था और ऐसे कितने ही कानूनों को बनाने में जिनका बनाया जाना इस नये राज्य में एकता और समता लाने के लिये निहायत जरूरी था, उदारता से अपना समय लगाया है

इस सभा द्वारा पास किये गये बहुत से कानूनों की व्याख्या करना मैं नहीं चाहता लेकिन राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम तथा राजस्थान टिनेन्सी एक्ट को मैं खास महत्व का समझता हूँ जिनका लक्ष्य किसानों के हकों की रक्षा करना और उनकी तरक्की के

[श्रीमान राज्यपाल]

लिये इत्मिनान दिलाना है हालांकि उनको लागू करने में दिक्कतें आई हैं लेकिन सभी लोगों के सहयोग तथा सदेच्छता से इन दिक्कतों पर विजय प्राप्त कर ली गई है । यह परम लाभकारी कानून है तथा देश के विधान के इतिहास में लम्बे काल तक याद रखे जायेंगे ।

इस सभा ने प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान में, राज्य के विकास के अनेक कामों में जो दिलचस्पी ली है वह भी कानून बनाने के कार्य से, कम महत्वपूर्ण नहीं है । विकास के क्षेत्र में, वार्षिक बजट की जांच-पड़ताल, सप्लीमेण्ट्री ग्रांट्स के पास करने तथा उनसे संबंधित अन्य कार्यों ने, सदन को सरकार की कार्यवाहियों पर नियंत्रण रखने का अच्छा जरिया पैदा किया है । यह जान कर खुशी है कि इस सदन द्वारा किये गये पथ-प्रदर्शन, सहायता तथा प्रोत्साहन से राज्य सरकार पंच वर्षीय योजना को सफलतापूर्वक पूरी कर सकी है । मैं इसके बारे में गहराई में नहीं जाना चाहता परन्तु कुछ दिशाओं में जो सफलता मिली है उससे एक साधारण दर्शक भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता । इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि सामुदायिक विकास के कार्यक्रम में, जो कि अब राज्य की एक चौथाई आबादी को घेरे हुए है, हमने पूरी सफलता प्राप्त की है । राष्ट्रीय विकास सेवाओं ने जनता में नये उत्साह और जीवन का नया दृष्टिकोण पैदा करने में सफलता प्राप्त की है । गांवों की जनता सदियों की गहरी नींद से जाग उठी है । मेरी राय में जनता के उत्साह में ऐसी तरक्की और जागृति केवल कुछ सड़कें बनाने या कुछ कुएं खोदने के मुकाबले में कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है । इन्सान की कोशिशों के क्षेत्र में एक शान्त क्रान्ति हुई है । विकास के कई क्षेत्रों में राज्य ने सन्तोषजनक और कहीं कहीं ठोस प्रगति भी की है । अतिरिक्त खाद्य उत्पादन का लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर लिया गया, और साधारण वर्षा के सालों में भी हमने देश के अन्य भागों को खाद्यान्न भेजना शुरू कर दिया । इसका यह मतलब नहीं है कि खाद्य के मसले पर हम संतोष कर लें । क्योंकि अभी तक वह क्षेत्रफल जिसमें सिंचाई होती है उस क्षेत्रफल के दसवें भाग से थोड़ा ही अधिक है जो जोता जा रहा है इसलिये वर्षा के औसत में थोड़ी सी भी गड़बड़ काश्तकार के लिए चिन्ता का कारण बन जाना लाज़िमी है । इसलिये हमारा पहला काम यह है कि पहिले से जुताई होने वाले क्षेत्रफल की रक्षा करें और फिर बिल्कुल सूखे तथा पानी के प्यासे विशाल क्षेत्रफल में सिंचाई का जरिया पैदा करें । जैसा कि सदन को मालूम ही है कि सरकार ने सिंचाई की कई बड़ी योजनाओं पर काम शुरु कर दिया है जिनसे कुछ ही सालों में विशाल क्षेत्रफल की कायापलट हो जायगी, ऐसी उम्मीद है । आर्थिक तथा सामाजिक विकास के अन्य क्षेत्रों में भी जो प्रगति की गई है वह ऐसी है जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में और भी अधिक मेहनत से काम करने के लिये हमें उत्साहित करती है ।

जिस मजबूती से सरकार ने डकैती के खतरे को दूर किया है उसका खास तौर पर जिक्र करना जरूरी है । पांच साल पहले की हालत वाकई नाजुक थी । राज्य के बहुत से हिस्सों में, डाकुओं की लूटखसोट के कारण जान व माल को भारी खतरा था । इस मामले को सख्ती से संभाला गया और जिससे आज पिछले चुनावों के मुकाबिले में डकैती और लूट एक अंशमात्र ही रह

[श्रीमान राज्यपाल]

गई है । सरकार ने बचे हुए डाकुओं के गिरोहों का भी नामोनिशान जल्दी से जल्दी मिटाने के लिये अपनी कार्यवाही पहिले से भी अधिक मजबूती से जारी रखने का पक्का इरादा कर लिया है।

राज्य में पिछले कुछ महीनों में ऐसी कोई खास घटनायें नहीं हुई हैं जिनका वर्णन किया जाय । राज्यों के पुनर्गठन से हम पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है । सरकार की यह नीति रही है कि जो क्षेत्र अभी अभी हमारे साथ मिले हैं वे नये राज्य में निश्चिन्त होकर सुविधापूर्वक घुलमिल जायें । यह अच्छा है कि इस समय जब कि हम विकास के कामों के लिये हमारे शासन-प्रबन्ध को व्यवस्थित कर रहे हैं, पुनर्गठन के कारण हमारे सामने कोई भी नई समस्याएं पैदा नहीं हुई हैं।

हाल ही में श्री एन० माधव राउ, मैसूर राज्य के भूत पूर्व दीवान, की सदारत में फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी की नियुक्ति राज्य की वित्त-व्यवस्था के लिये बहुत महत्वपूर्ण है । कमेटी सार्वजनिक खर्चे के उद्देश्यों की जांच करेगी, बराबर बढ़ते हुए खर्चे का इन्तजाम करने के लिये आय के वर्तमान साधनों की पर्याप्तता को तौलेगी, इस सवाल पर विचार करेगी कि आया वर्तमान कर युक्तिपूर्ण और न्यायपूर्ण हैं और सरकारी खर्च में कमी करने के उपाय बतलायेगी ।

पिछले कुछ महीनों में वर्षा समय पर न होने से खरीफ की फसल को बहुत नुकसान पहुंचा है जिसके फलस्वरूप सीकर, नागौर, कोटा और उदयपुर जिलों में १,५४३ गांवों को कमी के क्षेत्र घोषित करना पड़ा । इन गांवों में, जिनकी आबादी १९ लाख है, भू-राजस्व की वसूली की थाम करने की आज्ञा दे दी गई है और रिलीफ के काम आरम्भ कर दिये हैं ।

सरकार को इस बात का इल्म है कि पिछले कुछ महीनों में अनाज के भाव बढ़ जाने की वजह से जनता को काफी कठिनाई हो गई है । सरकार को उम्मीद है कि यह चीज थोड़े समय तक ही ठहरने वाली है लेकिन फिर भी इस कठिनाई को दूर करने के लिये कदम उठाये गये हैं । सस्ते अनाज की दुकानें खोली गई हैं लेकिन उनके काम में सुधार की गुंजाइश है। सस्ते अनाज की दुकानों की तादाद बढ़ाने और उनमें काफी मिकदार में अनाज रखने के लिये जरूरी तौर पर कार्यवाही की जा रही है । इस राज्य को काफी मिकदार में अनाज भेजने के लिये भारत सरकार से प्रार्थना की जा रही है ।

जिस कामयाबी के साथ चुनाव पूरे हुए हैं वह बड़े ही सन्तोष की बात है । सारे राज्य में ६,६३८ पोलिंग सेण्टर खोले गये थे जहां कि ८७ लाख से अधिक मतदाता अपने मत देने के लिये आने को थे । चुनाव कराने के लिये करीब २५,००० कर्मचारियों और एक बड़ी तादाद में पुलिस दल को ड्यूटी पर लगाया गया था । करीब १,२६,००० बैलट बक्स काम में लिये गये । मोटे तौर पर करीब ५० फी सदी मतदाताओं ने मत दिये । मुझे खुशी है कि चुनाव शांतिपूर्वक पूरे हो गये । इस जबरदस्त काम में लगाये गये सब वर्गों के सरकारी कर्मचारियों ने अपना फर्ज अदा

[श्री मान राज्यपाल]

करने में जो ऊंची भावना, निष्पक्षता और जिम्मेदारी समान रूप से दिखाई है उसके लिये वे धन्यवाद दिये जाने योग्य हैं।

इस विधान सभा की अवधि खत्म होने के करीब है और माननीय सदस्य अपने पिछले काम को देखकर संतोष अनुभव कर सकते हैं। आपमें से बहुत से महानुभाव नई विधान सभा के लिये चुन लिये गये हैं जो कि विधान सभा के काम की एक-सूत्रता को कायम रखने में मदद करेंगे। आपके पिछले अनुभव से दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान में राज्य के लिये बहुत फायदा होगा। आपमें से जो विधान सभा से रिटायर होंगे वे अपने साथ इस सदन की सद्भावना ले जायेंगे। मुझे यकीन है कि वे अपने अनुभव और ज्ञान से किसी न किसी रूप में राज्य को लाभ पहुंचाते रहेंगे।

अगले कुछ दिनों में आपके सामने जो काम आने वाला है उसके बारे में मुझे कोई खास बात नहीं कहनी है। आपके सामने खास काम बजट संबन्धी होगा और मुझे यकीन है कि आपको यह ठीक हालत में ही मिलेगा। अब मेरी कामना है कि आपको अपने विचार विमर्श में दैवी प्रगति प्राप्त हो।

(करतल-ध्वनि)

(तदनन्तर श्रीमान् राज्यपाल ने ११ बजकर २० मिनट पर सभाभवन से प्रस्थान किया। इसके पश्चात् सदन की बैठक सायंकाल ४ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक-१८ मार्च, १९५७

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

राजस्थान विधान सभा

द्वितीय बैठक, सोमवार, दिनांक १८ मार्च, १९५७

(सायंकालीन बैठक)

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में मध्यान्होतर ४.५ बजे प्रारंभ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

सन् १९५७-५८ का आय—व्ययक प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री महोदय का भाषण
श्री अध्यक्ष—श्री बृजसुन्दर शर्मा।

(करतल-ध्वनि)

श्री बृजसुन्दर शर्मा (श्री वित्त मंत्री)—महोदय, मैं १९५७-५८ वर्ष का आय-व्ययक प्रस्तुत करता हूँ। चालू वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पूर्व ही आम चुनाव समाप्त हो जायेंगे। आगामी वर्ष की वित्तीय कार्यवाहियां नई सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली नीति पर निर्भर करेंगी। अत: नई सरकार आय-व्ययक पर नये सिरे से विचार करेगी और जो परिवर्तन आवश्यक समझे जायेंगे, किये जायेंगे। तत्पश्चात् आगामी वर्ष का आय-व्ययक नई विधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा।

आपके समक्ष मैं जो विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं वह केवल अन्तरिम आय-व्ययक है। इस समय तो केवल, आगामी वर्ष के प्रथम कुछ महीनों में किये जाने वाले व्यय की पूर्ति के लिये लेखे गत मत ही प्राप्त किया जायगा। इस समय तैयार किये गये आय-व्ययक अनुमान, तथा स्पष्टिकारक स्मृति-पत्र माननीय सदस्यों को दे दिये जावेंगे। इन अनुमानों में राज्य की चालू वर्ष की वित्तीय स्थिति और आगामी वर्ष की प्रत्याशाओं का दिग्दर्शन कराने का प्रयत्न किया गया है।

चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक अनुमानों को तैयार करते समय हमने द्वितीय पंच वर्षीय योजना की पृष्ठ भूमि तथा राष्ट्रीय योजना आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को ध्यान में रखा था। योजना आयोग ने द्वितीय योजना के लिये उपलब्ध हो सकने वाले साधनों का अनुमान लगाकर राज्य सरकारों को यह आदेश दिया था कि वे नवीन कर लगा कर अतिरिक्त साधनों की प्राप्ति के लिये भरसक प्रयत्न करें। योजना आयोग द्वारा राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से परामर्श करके विभिन्न

[श्री वित्त मंत्री]

क्षेत्रों के अन्तर्गत होने वाले विकास कार्य-क्रमों की जांच की गई थी और अन्तिम राशियां नियत की गई थीं।

क्योंकि पिछले वर्षों की गतिविधियों के वित्तीय परिणामों तथा पहले नौ महीनों के वास्तविक आय व्यय के आधार पर चालू वर्ष के अनुमानों के पुनरावलोकन से वह आवश्यक सूचना प्राप्त होती है जिस पर आगामी वर्ष के अनुमान निर्भर करते हैं; पिछले दो वर्षों के वास्तविक आय-व्यय पर प्रकाश डालना तथा चालू वर्ष की गतिविधियों पर विचार करना जरूरी है।

राज्यों का पुनर्गठन वित्तीय वर्ष के मध्य में होने के कारण इस वर्ष बड़ी विचित्र सी स्थिति रही, इसलिए गत वर्ष के वास्तविक आय-व्यय के अंकों से कोई विशेष सहायता नहीं मिलती। जहां तक राजस्थान का संबंध है राज्यों की सीमाओं के पुनर्वितरण का इस राज्य पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा; सिवाय इस बात के कि भूतपूर्व अजमेर राज्य, जो प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक, सब दृष्टिकोणों से इस राज्य का ही अंग होना चाहिये था तथा जो प्रदेशों के युक्तियुक्त वितरण अथवा पुनर्समायोजन की किसी भी योजना में इस राज्य से पृथक नहीं रखा जा सकता था, अब पुनर्गठन से पूर्व के राजस्थान में मिला दिया गया है। कोटा जिले का सिरोंज सब-डिविजन नये मध्य-प्रदेश राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया है और भूत पूर्व मध्य भारत और बम्बई राज्यों के क्रमानुसार सुनेल टप्पा और आबू तालुके राजस्थान में विलीन हो गये हैं। भूतपूर्व अजमेर राज्य के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों के हस्तांतरण का राज्य की वित्तीय प्रक्रियाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अजमेर के विलय से राज्य की अर्थ-व्यवस्था काफी हद तक अस्त व्यस्त हो गई है। यह घाटे का क्षेत्र है जो अब तक केन्द्रीय सरकार की वित्तीय सहायता से ही पोषित होता रहा है और वह सहायता ही उस राज्य की राजस्व आय का एक मुख्य अंग थी।

१९५४-५५ के लेखे

१९५४-५५ में वास्तविक राजस्व प्राप्ति २२५४.४६ लाख रुपये थी तथा राजस्व व्यय २०६५.०० लाख रुपये। इस प्रकार राजस्व में १८९.४६ लाख रुपये की बचत रही।

पूंजीगत व्यय कुल ११६८.०७ लाख रुपये हुआ।

वास्तविक आय-व्यय व बचत की स्थिति निम्नलिखित रही:—

१९५५-५६	राजस्व प्राप्तियां	२३९७-२५	लाख रुपये
के	राजस्व लेखे गत व्यय	२३०८.७७	" "
लेखे	बचत	८८,५८	" "

[श्री वित्त मंत्री]

लेखों के अवलोकन से ८८.४८ लाख रुपये की बचत प्रकट होती है। इस वर्ष के लेखों में महालेखा पाल ने संधिपत्रांतर्गत राज्यों द्वारा स्थापित की गई कतिपय निधियों के संबंध में ३२७.६५लाख रुपयों का समायोजन किया जिनसे यद्यपि कुछ भी नकद रुपया नहीं मिला तथापि अनुमानित घाटे के स्थान पर लेखे में बचत दिखाई देने लगी।

पुनर्गठन से पहले के राजस्थान राज्य के आय-व्ययक अनुमान

१९५६.५७ में २४६८.९६ लाख रुपयों की प्राप्ति का अनुमान था जिसमें २२३८.२६ लाख रुपयों की सामान्य प्राप्तियां (विकास योजनाओं से संबंध न रखने वाली केन्द्रीय सहायता को सम्मिलित करते हुए) १७६.७० लाख रुपयों की विकास योजनाओं के प्रति भारत सरकार की सहायता, तथा अतिरिक्त कर लगाने से होने वाली ८४ लाख रुपयों की आय सम्मिलित थी।

सामान्य व्यय अर्थात जिस व्यय का दायित्व सरकार ने अपने ऊपर ले लिया था उसका अनुमान २२३६.६२ लाख रुपयों का था। इसमें १७१.०४ लाख रुपये की राशि प्रथम परियोजना के कारण आये आवर्तक दायित्व की थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित विकास योजनाओं के ४३२.३५ लाख रुपयों को जोड़ देने पर २६६८.९७ लाख रुपये का अनुमान लगाया गया था।

पूंजी लेखे के अतर्गत कुल १४२०.९२ लाख रुपयों के व्यय का अनुमान था। इस कार्यक्रम में कुछ एक मदों को छोड़कर शेष केवल विकास योजनाएं ही सम्मिलित थीं।

अजमेर के १९५६.५७ के आय व्ययक अनुमान

अजमेर राज्य के १९५६.५७ के आय-व्ययक अनुमान निम्न प्रकार हैं:—

राजस्व प्राप्तियां (केन्द्रीय सरकार से आर्थिक सहायता के रुप में प्राप्त १४८ लाख रुपये को सम्मिलित करते हुए)	२६२.९३ लाख रुपये
राजस्व से लिया जाने वाला व्यय	२६२.६३ लाख रुपये।
पूंजी व्यय	१५७.७० लाख रुपये।

उपरोक्त अनुमानों में १४८ लाख रुपयों के सहायतार्थ अनुदान के अतिरिक्त केन्द्रीय

[श्री वित्त मंत्री]

सरकार से पूंजीगत व्यय के लिए मिलने वाले ऋण की पूरी राशि सम्मिलित कर ली गई थी। यदि चालू वर्ष में मिलने वाले १४८ लाख रुपयों के सहायतार्थ अनुदान को निकाल देवें तो राज्य की राजस्व प्राप्ति केवल ११४.६३ लाख रुपये ही रह जाती है।

१ नवम्बर, १९५६ से ३१ मार्च, १९५७ तक की अवधि के लिए नये राजस्थान राज्य के आय-व्ययक अनुमान

राज्य पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, नवम्बर १९५६ से मार्च १९५७ तक की अवधि के लिये नये अनुमान तैयार करने पड़े। राजस्व लेखेगत प्राप्तियों का अनुमान १३८९.९८ लाख तथा राजस्व लेखेगत व्यय का अनुमान १५२२.६२ लाख रुपयों का था। पूंजी व्यय के लिये ११००.९० लाख रुपये का अनुमान रखा गया था। श्रीमन् राजप्रमुख से आवश्यक प्राधिकरण १ नवम्बर, १९५६ से पूर्व ही प्राप्त कर लिया गया था।

आगामी वर्ष के लिये आय व्ययक अनुमान तैयार करते समय पुनर्गठन से पहले के राजस्थान राज्य तथा अजमेर के मूल अनुमानों को ध्यान में रखा गया है तथा उपलब्ध वास्तविक आंकड़ों पर भी विचार किया गया है।

चालू वर्ष की एक विशेष ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण घटना जनवरी १९५७ में वित्त आयोग का आगमन है। वित्त आयोग को एक विस्तृत स्मृतिपत्र, जिसमें हमारी वित्तीय आवश्यकताओं का समावेश था, प्रस्तुत किया गया था। संक्षेप में, सहायता के लिये हमारी मांगें निम्न लिखित थीं:—

१ केन्द्रीय करों की विभाजनीय राशियों में से अधिक हिस्सा;

२ (१) पाकिस्तान सीमा पर नियुक्त राजस्थान सशस्त्र पुलिस दल पर होने वाले व्यय की पूर्ति — ६०·०० लाख रु०

(२) अन्तर्राज्य मार्ग शुल्कों की समाप्ति के कारण हुई राजस्व में कमी की पूर्ति हेतु सहायतार्थ अनुदान — १५०.०० लाख रु०

(३) अजमेर क्षेत्र में राजस्व की कमी की पूर्ति हेतु सहायता — १५०.०० लाख रु०

३ निम्न लिखित के लिये विशेष सहायता:—

(१) दुर्भिक्ष — २०.०० लाख रु० (आवर्तक)

[श्री वित्त मंत्री]

(२) वेतन दरों तथा मंहगाई भत्ते को शामिल करते हुए प्रशासनिक पुनर्गठन	१११·०० लाख रु० (आवर्तक)
(३) प्रशासनिक भवन	१००·०० लाख रु० (अनावर्तक)
(४) सड़कों तथा भवनों का संधारण और जीर्णोद्धार	१५२.०० लाख रु० (अवर्तक)
(५) जल-प्रदाय तथा जल-निकास	४०.०० लाख रु० (अनावर्तक)
(६) पिछड़ी हुई जातियों के लिये कल्याणकारी योजनायें	५६.०० लाख रु० (२०.०० आवर्तक ३६.०० अनावर्तक)
(७) शिक्षा का प्रसारण	१३२.०० लाख रु०
(८) चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार	२९.०० लाख रु० (११.११ आवर्तक १७.८९ अनावर्तक)
(९) ऋण तथा ब्याज की दरों के सम्बन्ध में सहायता ।	

विभिन्न राज्यों की मांगें वित्त आयोग के विचाराधीन हैं। हमें नहीं मालूम कि उसके द्वारा किस सहायता की सिफारिश की जायगी।

१९५७–५८ वर्ष के लिये आयोग की अन्तरिम सिफारिश के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों के लिये केन्द्रीय करों में से दिये जाने वाले हिस्से का अनुपात नियत कर दिया गया है और अस्थायी आधार पर सहायतार्थ अनुदान भी स्वीकार कर दिया गया है।

[श्री वित्त मंत्री]

१९५७–५८ के आयव्ययक अनुमान

आगामी वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के अनुमान नये राज्य के लिये तैयार किये गये हैं। इन अनुमानों से अजमेर के विलय के कारण राजस्व तथा व्यय दोनों पक्षों पर पड़ा प्रभाव प्रकट होता है।

प्राप्तियां

१६५७–५८ वर्ष के लिये विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियों का कुल अनुमान २७३७·३३ लाख रुपयों का है। इसमें अजमेर क्षेत्र से प्राप्तियों के ६८.७६ लाख और विकास योजनाओं के लिये सहायता के २३२.६६ लाख रुपये शामिल हैं। पुनर्गठन से पहले के राजस्थान राज्य के आयव्ययक अनुमानों के आंकड़ों की तुलना में, कतिपय शीर्षकों को छोड़कर अनुमानों में वृद्धियां प्रकट होती हैं। आंकड़ों में वृद्धियां निम्नलिखित कारणों से हुई हैं:—

१. प्रवृत्तिमूलक वृद्धियां :

२. वर्ष में लागू की गई अतिरिक्त करारोपण की कार्यवाहियां :

३. अजमेर क्षेत्र के आंकड़ों को शामिल किया जाना; और

४. विकास योजनाओं के लिये भारत सरकार से प्राप्त की जाने वाली सहायता।

जिन शीर्षकों के अन्तर्गत कमियां हुई हैं वे सहकारिता, उद्योग और रसद, नागरिक निर्माण कार्य, लेखन सामग्री तथा मुद्रण और विविध हैं।

सहकारिता के अन्तर्गत विकास योजनाओं के लिये वित्तीय सहायता के रूप में कम प्राप्तियों की वजह से अनुमान कम है।

उद्योग और रसद के अन्तर्गत अधिक न्यूनाधिकताएं पट्टे की समाप्ति पर गंगानगर सूगर फैक्ट्री से होने वाली प्राप्तियां नहीं दिखाई जाने के कारण हुई हैं।

नागरिक निर्माण कार्यों के अन्तर्गत कमी प्राप्तियों के विशेष मदों, जैसे कि किराये की बकाया, अन्तर्राज्य और सामरिक महत्व की सड़कों के लिये सहायता, आदि के निकाल दिये जाने के कारण हुई है।

[श्री वित्त मंत्री]

लेखन सामग्री तथा मुद्रण के अन्तर्गत कम राशि रखी गई है क्योंकि केवल व्यवसायिक विभागों से होने वाली प्राप्तियों को ही हिसाब में लिया गया है। विभागीय आय-व्ययकों में लेखन सामग्री तथा मुद्रण के लिये व्यवस्था, जो इस शीर्षक के अन्तर्गत समायोजन प्रविष्टि द्वारा जमा की जाती थी, को कम कर दिया गया है क्योंकि संशोधित प्रबन्ध, जो १ अप्रेल, १९५७ से प्रभाव में आयेगा, के अन्तर्गत लेखन सामग्री तथा मुद्रण विभाग को सेवा विभाग (Service Department) माना जायगा।

विविध शीर्षक के अन्तर्गत चालू वर्ष के आयव्ययक अनुमान, विस्थापितों की सहायता एवं पुनर्वास पर किये गये व्यय के सम्बन्ध में पिछले वर्षों के लिये केन्द्रीय सहायता के मतालबों की बकायाओं को शामिल करने के कारण, अधिक रखे गये थे।

व्यय

राजस्व लेखे में व्यय के अगले वर्ष का कुल अनुमान पुराने राजस्थान राज्य के चालू वर्ष के २६६८.९७ लाख रुपये के अनुमान के मुकाबले में ३१७९.६२ लाख रुपये का है। ५१०.६५ लाख रुपये की वृद्धि में राजस्व लेखे गत द्वितीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी विकास व्यय में ३६४.०३ लाख रुपये से ४८०.७३ लाख रुपये (११६.७० लाख रुपये) की वृद्धि, तथा अजमेर के विलीनीकरण के कारण लगभग २२०.०० लाख रुपये, जिसमें द्वितीय पंचवर्षीय आयोजन के अन्तर्गत योजनाओं सम्बन्धी व्यय के कारण ४८.६८ लाख रुपये सम्मिलित हैं, जागीरदारों को क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिये ६०.०० लाख रुपये तक की बढ़ा कर रखी गई व्यवस्था, राज्य ऋण पर ब्याज के भुगतान के लिये "२२—ब्याज" के अन्तर्गत ८२.२४ लाख रुपये की बढ़ा कर रखी गई व्यवस्था तथा चालू वित्तीय वर्ष में लिये गये ३००.०० लाख रुपये के राज्य ऋण के सम्बन्ध में शोधन निधि आदि के लिये २९.७० लाख रुपये की व्यवस्था सम्मिलित है। पुलिस दल को शक्तिशाली बनाने के लिए १५.०० लाख रुपये की और जिला स्थापना को शक्तिशाली बनाने के लिये सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत १५.०० लाख रुपये की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त वेतनदरों को युक्ति-युक्त करके अल्प वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को दी गई अग्रिम वेतन वृद्धियों के कारण और भी वृद्धि हुई है। चिकित्सा के अन्तर्गत चालू वर्ष में खोले गये नवीन औषधालयों के लिये अतिरिक्त कर्मचारी वर्ग के लिये और रोगियों को भोजन के लिये तथा औषधियों, चोगों और औजारों के लिये बढ़ा कर व्यवस्था की गई है। शिक्षा के अन्तर्गत गत वर्ष अध्यापकों को उच्चतर प्रारम्भिक वेतन और अग्रिम वेतन वृद्धियां देने के कारण पर्याप्त वृद्धि हुई है। लगभग समस्त शीर्षकों के अन्तर्गत ही वृद्धियां हुई हैं जो विशेषतः १०० रुपये तक मासिक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को सहायता पहुंचाने के कारण हुई हैं।

[श्री वित्त मंत्री]

सन् १९५७-५८ में किये जाने वाले पूंजी-व्यय के कार्यक्रम में विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत १७११.२२ लाख रुपये की लागत लगेगी। कुछ एक मदों को छोड़ कर पूरा का पूरा पूंजी-व्यय विकास-योजनाओं से सम्बन्धित है।

राजस्व-व्यय और राजस्व-प्राप्तियों के बीच ४४२.२६ लाख रुपये का अन्तर है।

योजना आयोग ने वर्ष के दौरान में कार्यान्वित किये जाने वाले विकास कार्यक्रमों के लिये धनराशि नियत करते हुए, आगामी वर्ष के लिये १.८ करोड़ रुपये के अतिरिक्त साधन जुटाने का लक्ष निर्धारित किया है। विस्तृत प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं और उनको अन्तिम रूप नई सरकार द्वारा दिया जायगा। चूंकि इन साधनों से धन न जुटाये जाने पर योजना की प्रगति में रुकावट आयेगी, इसलिये इन अनुमानों में १.८ करोड़ रुपये की एक मुश्त रकम सम्मिलित करली गई है और यदि आशाएं फलीभूत हुईं तो पूर्वोक्त अन्तर इस सीमा तक कम हो सकेगा। राजस्व-लेखे गत घाटे का अनुमान घट कर २६२.२९ लाख रुपये रह जायगा। वित्त आयोग जिस अनुदान की सिफारिश करेगा वह रकम भी इसमें से कम हो जायगी।

इसके अतिरिक्त सन् १९५७-५८ में सरकारी संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाली २५.०० लाख रुपये की राशि पूंजी-प्राप्तियों में सम्मिलित की जा रही है। यह राशि पूंजी-व्यय के लिये वित्त की व्यवस्था करने में लगाई जायगी। पूंजी व्यय का एक पर्याप्त अंश केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण के रूप में दिया जायगा और शेष अंश के लिये राज्य को अपने साधनों से व्यवस्था करनी पड़ेगी। आगामी वर्ष में २५०.०० लाख रुपये का सार्वजनिक ऋण उगाहने का विचार है।

मैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित किये जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में सामान्य रूप से कुछ कहना चाहता हूँ। हम योजना के द्वितीय वर्ष में पदार्पण कर रहे हैं। प्रथम वर्ष, अर्थात् सन् १९५६-५७ के लिये राजस्थान में विभिन्न विकास-योजनाओं के लिये १९.८३ करोड़ रुपये की और अजमेर में विकास योजनाओं के लिये १.५२ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। आगामी वर्ष के लिये भी करीब-करीब वही राशियां रखी गई हैं।

प्रथम योजना के समान ही द्वितीय योजना में भी कृषि, सिंचाई और विद्युत् पर अधिक जोर दिया गया है। राजस्थान में ग्राम्य जीवन की समृद्धि का मूल मंत्र राज्य के जल-साधनों का द्रुत गति से प्रयोग और खाद्यानों व अन्य कृषिजन्य पदार्थों के अधिक उत्पादन के लिये भूमि का उचित उपयोग है। कृषि, पशु-पालन सिंचाई, वन, सहकारिता आदि के सर्वतोमुखी कार्यक्रम का अभिप्राय योजना के इस मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति ही है। राजस्थान की विद्युत् सम्बन्धी योजना ने, जो कि मुख्यतया

[श्री वित्त मंत्री]

भाकरा और चम्बल परियोजनाओं में जल-विद्युत् के विकास पर आश्रित है, कृषि और सिंचाई के कार्यक्रमों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन देने के साथ-साथ औद्योगिक प्रगति की भी नींव डाली है।

द्वितीय पंच वर्षीय योजना के लिये कुल १०५.२७ करोड़ रुपये की राशि नियत की गई है जिसमें से ९७.४० करोड़ रुपये राजस्थान और ७.८७ करोड़ रुपये अजमेर के लिये हैं। इसमें से योजना आयोग ने १६५७-५८ के वास्ते २१ करोड़ रुपये का आयोजन स्वीकार कर लिया है जिसमें से १.४७ करोड़ रुपये अजमेर सम्बन्धी योजना के लिये हैं। सिंचाई और बिजली की विभिन्न योजनाओं के लिये जिनमें भाकरा नांगल और चम्बल प्रोजेक्ट भी शामिल हैं ९.६१ करोड़ रुपये की रकम नियत करदी गई है। कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिये २.८३ करोड़ रुपए की राशि नियत की गई है। शेष राशि दूसरे कार्यों के लिए बंटी हुई है।

विनियोग

राजस्थान का निर्माण होने के समय विनियोग की कुल राशि जो विभिन्न संधि पत्रांतर्गत राज्यों से मिली थी १४३७.२७ लाख रुपये की थी जिसमें से १२४.३० लाख रुपये न्यासनिधि के थे।

१ अप्रेल, १६५६ को विनियोग की कुल राशि १५२०.७५ लाख रुपये की थी जिसमें न्यासनिधि के २७.५७ लाख रुपये भी शामिल थे। ऐसा अनुमान है कि ३१ मार्च, १९५७ को विनियोग की यह रकम १५७९.२७ लाख रुपये होगी।

अधिविकर्ष

संचित निधियों और पूर्व नियत राशियों के अन्तर्गत धारित १२३७.४० लाख रुपये के गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोटों में से १२१७.५७ लाख रुपये के अभिहित मूल्य (Face value) के नोट स्टेट बैंक आफ इन्डिया के पास बन्धक रख दिये गए हैं ताकि विकास कार्यक्रमों के लिये रुपये की व्यवस्था करने के लिए राजस्थान सरकार के केन्द्रीय चालू खाते में ओवरड्राफ्ट प्राप्त किया जा सके। १-४-१६५६ को ७५५.३२ लाख रुपये का ओवर ड्राफ्ट था। चालू वर्ष की शेष अवधि में अनुमानित प्राप्तियों और भुगतान को ध्यान में रखते हुए ऐसा अनुमान है कि ३१ मार्च, १९५७ को स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया में ओवरड्राफ्ट की रकम, उस रकम की अपेक्षा, जो गत वर्ष की उक्त तारीख को थी, कुछ अधिक होगी।

एक महत्वपूर्ण बात है जिसका विशेष रूप से उल्लेख करना आवश्यक है। सरकार इस बात को कुछ समय से अनुभव कर रही थी कि अनिवार्य सामग्रियों के प्रचलित ऊंचे भावों को

[श्री वित्त मंत्री]

देखते हुए थोड़ी तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों को सहायता दिये जाने की आवश्यकता है। राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्णय किया गया है कि सरकार के तथा स्थानीय निकायों के ऐसे कर्मचारियों के जिन्हें केन्द्रीय सरकार की दरों अनुसार मंहगाई भत्ता नहीं मिल रहा है तथा जिनको वेतन भत्ता आदि मिलाकर कुल १०० रुपये मासिक से अधिक पारिश्रमिक नहीं मिलता है, १ अप्रेल, १९५७ से ५ रुपये मासिक की वृद्धि दी जाय। (करतल ध्वनि) इससे ६३.९८ लाख रुपयों का अतिरिक्त खर्चा बढ़ेगा। भारत सरकार से निवेदन किया गया था कि आर्थिक सहायता दी जाय ताकि राज्य इस अतिरिक्त खर्चे के भार को उठा सके। इस बारे में एक आवेदन-पत्र वित्त आयोग को भी प्रस्तुत किया गया था। ऐसा अनुमान है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में भारत सरकार की ओर से ३५.८६ लाख रुपये प्रति वर्ष की सहायता प्राप्त हो सकेगी।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को स्मरण दिलाना उचित समझता हूँ कि यह एक अन्तरिम बजट है। इसलिये मैंने आंकड़ों की विस्तृत व्याख्या नहीं की है। मैं उन कार्यक्रमों की तफ्सील पेश करके सदन को थकाना नहीं चाहता जिनका कार्यरूप में परिणत करना आगामी सरकार की नीति पर निर्भर करेगा। आगामी सदन को, बजट अनुमानों की तफ्सील पर विचार करते समय, इन कार्यक्रमों पर विचार-विनिमय करने का अवसर प्राप्त होगा। अतः आशा है माननीय सदस्यगण इस अन्तरिम बजट पर अपनी टीकाएं प्रस्तुत करते समय इस मर्यादा को ध्यान में रखेंगे। मैं फिर निःसंकोच भाव से यह कह देना चाहता हूँ कि हम समाजवादी ढंग के समाज के अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर निरन्तर प्रगति कर रहे हैं और चालू वर्ष में हम सराहनीय प्रगति करने में समर्थ हुए हैं।

वर्तमान विधान सभा का यह अन्तिम सत्र है। इस अवसर पर मैं समस्त माननीय सदस्यों को उस सहायता और सहयोग के लिए धन्यवाद अर्पित करता हूँ जो उन्होंने सरकार को तथा मुझे दिया है।

जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष—सदन की कार्यवाही कल प्रातः काल ८ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही सायं ४-३० बजे कल, दिनांक १९ मार्च, १९५७ के प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित की गई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक-१८ मार्च, १९५७

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।